उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाश : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : पदवि / नंनण्ंबण्पद

पत्रांक 1126 / उ0आ0वि0 / सम्बद्धता / 2016–17 दिनांक : 12 सितम्बर, 2017

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

आयुष विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या R12011/25/2013-EP(IM-1) दिनांक 23.09.2016 एवं विश्वविद्यालय के कार्यकारी आदेश संख्या 2812 / उ0आ0वि0 / सम्बद्धता / 2016–17 दिनांकित 09.11.2016 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट / संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क0 सं0	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	क्वाडरा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रूडकी–हरिद्वार रोड एन0एच0–58 रूडकी हरिद्वार।	बी0ए0एम0एस0	60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2016–17(एक वर्ष) हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण

2. भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 23.09.2016 के क्रम में संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु (एक वर्ष) सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

3. संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।

4. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

5. संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

6. छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7. यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

8. संस्थान में कार्यरत फेकल्टी एवं कर्मचारियों के सदस्यों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

10. पाठ्यक्रम क संबंध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यस्था के संबंध में समय–समय पर पुष्टि विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

11. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के संबंध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।

12. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी वर्ष में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त आदेश मा0 कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
कुलसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, क्वाडरा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रूडकी–हरिद्वार रोड, एन0एच0–58, रूडकी, हरिद्वार उत्तराखण्ड
9. गार्ड फाईल।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
कुलसचिव।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तषासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाश : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : पदवि/नंनण्बण्पद

पत्रांक 1896 /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2017–18 दिनांक : 22 सितम्बर, 2017

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

आयुष विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या R12011/25/2015-EP(IM-1) दिनांक 04.08.2017 एवं विश्वविद्यालय के कार्यकारी आदेश संख्या 1838/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2017–18 दिनांकित 19.09.2017 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट/संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क0 सं0	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	क्वाडरा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद रूडकी–हरिद्वार रोड एन0एच0–58 रूडकी हरिद्वार।	बी0ए0एम0एस0	60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2017–18(एक वर्ष) हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण

2. भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 04.08.2017 के क्रम में संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2016–17 हेतु (एक वर्ष) सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

3. संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।

4. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

5. संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

6. छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7. यदि संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

8. संस्थान में कार्यरत फेकल्टी एवं कर्मचारियों के सदस्यों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से कास चैक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

9. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

10. पाठ्यक्रम क संबंध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यस्था के संबंध में समय–समय पर पुष्टि विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

11. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के संबंध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।

12. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी वर्ष से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त आदेश मा0 कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
कुलसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, क्वाडरा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रूडकी–हरिद्वार रोड, एन0एच0–58, रूडकी, हरिद्वार उत्तराखण्ड
9. गार्ड फाईल।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
कुलसचिव।

QA-07

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2685124, फैक्स : 0135–2685137, ईमेल : info@uau.ac.in

पत्रांक : 465 / उ0आ0वि0 / सम्बद्धता / 13–चार(2) / 2015–16 दिनांक : 30 अक्टूबर, 2015

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी पत्र संख्या : 2498 / XXXX / 2015–63 / 2011 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सकरार के पत्र संख्या : 12011 / 25 / 2013–EP(IM-I) दिनांक 25.09.2014 एवं विश्वविद्यालय के पत्रांक: 1119–26 / उ0आ0वि0 / सम्बद्धता / 2014–15 दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट / संस्तुति के कम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यकम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ सतम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए प्रथमबार अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क0सं0	संस्थान / महाविद्यालय का नाम	पाठ्यकम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	क्वाड्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, निकट मोन्टफोर्ट स्कूल, एन0एच0–58, रूड़की हरिद्वार रोड़, रूड़की, हरिद्वार।	बी0ए0एम0एस0	60 सीट	शैक्षणिक सत्र 2014–15 हेतु प्रथमबार अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण ।

2. संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।

3. संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

4. संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

5. छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थानों के विरूद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6. यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लघंन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यकम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

7. संस्थान में कार्यरत फेकल्टी एवं कर्मचारियों के सदस्यों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से कास चैक द्वारा उनके नाम खोले

कमशः 2 / .....

गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

8. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

9. पाठ्यक्रम क संबंध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यस्था के संबंध में समय–समय पर पुष्टि विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

10. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के संबंध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन भी किया जाना होगा।

11. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस संबंध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

12. उक्त सम्बद्धता आदेश माननीय कुलपति महोदय/अध्यक्ष, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की सहमति/अनुमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(डॉ0 मृत्युंजय कुमार)
कुलसचिव।
30.10.15

पृष्ठांकन संख्या : 465 /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/13–चार(2)/2014–15/तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. प्राचार्य/अधीक्षक, क्वाड्रा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, निकट मोन्टफोर्ट स्कूल, एन0एच0–58, रूड़की हरिद्वार रोड़, रूड़की, हरिद्वार।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मृत्युंजय कुमार)
कुलसचिव।
30.10.15

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय परिसर, हर्रावाला, देहरादून

दूरभाष : 0135–2685124 फैक्स : 2685137, ईमेल : info@uau.ac.in, वेबसाइट : www.uau.ac.in

ई.शा.प.सं. : 2388/उ०आ०वि०/सम्बद्धता/2013-14 दिनांक : 30-11-2013

Form-5

(See sub clause 1(d), 2(b) and 3(b) of regulation (6))

CONSENT OF AFFILIATION

In continuation of no objection issued by Principle Secretary AYUSH & AYUSH Education vide letter no. 742/XXXX/2013-06/2011 dated 29-04-2013. The Uttarakhand Ayurved University, Dehradun has agreed in principle to affiliate temporally the **QUADRA INSTITUTE OF AYURVEDA, ROORKEE, HARIDWAR ROAD, UTTARAKHAND** to be established at Roorkee (Uttarakhand) by the Chaudhary Harchand Singh Atma Ram Education Trust, starting BAMS course with admission Capacity of Sixty seats, subject to grant of permission by the Government of India, Ministry of Health and family welfare, New Delhi under section- 13A of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

(Dr. Mritunjay kumar)
Registrar
Uttarakhand Ayurved University,
Dehradun